प्रकाशन का 44 वां वर्ष

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

ई – पेपर

www.facebook.com/shailshamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 44 अंक – 4 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2020 सोमवार 21 – 28 जनवरी 2019 मूल्य पांच रूपए

राजीव बिन्दल मामले की वापसी के बाद भ्रष्टाचार पर सरकार की नीयत और नीति सवालो में

❖ क्या सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत सरकारी वकील और विजिलैंस के खिलाफ कारवाई होगी

शिमला/शैल। विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिन्दल जब 1999 में नगर परिषद सोलन के चेयरमैन थे तब वहां पर कुछ कर्मचारियों की भर्ती हुई थी। इन भर्तीयों में नियमों कानूनों की अनदेखी और भ्रष्टाचार के आरोप उस समय लगे जब बिन्दल प्रदेश विधानसभा में चुनकर आ गये। बिन्दल के खिलाफ जब यह मामला बना था प्रदेश में वीरभद्र सरकार थी। उसके बाद 2007 में धूमल की सरकार आयी। इस सरकार में भी यह मामला अन्तिम अंजाम तक नही पहुंचा। धूमल सरकार में भी मामला वापिस लेने का प्रयास किया गया और

इसके लिये विधानसभा अध्यक्ष ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मामला चलाने की अनुमति नही दी। इसके बाद फिर वीरभद्र की सरकार आयी। इस सरकार के दौरान जब विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अनुमति न दिये जाने का मामला अदालत के समक्ष आया तब अदालत ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकार के बाद अदालत की कारवाई जारी रही लेकिन मामले में फैसला नही आ पाया। केवल अभियोजन पक्ष की गवाहियां वाला पक्ष ही पूरा हो पाया था। इसी दौरान फिर सरकार बदल गयी। जयराम ठाकुर के नेतृत्व मे भाजपा की सरकार बन गयी और फिर इस मामले को वापिस लेने के लिये प्रक्रिया शुरू हो गयी। इस मामले की अदालत मे पैरवी कर रहे सरकारी वकीलों की राय भी इसे वापिस लेने को लेकर अलग – अलग थी। जयराम सरकार ने दो बार इसमें तबादले के नाम पर वकील बदले। इस प्रकरण में बिन्दल के साथ दो दर्जन अन्य लोग भी आरोपी थे। जब बिन्दल का मामला वापिस लेने के लिये अदालत में आग्रह गया तब इन अन्य अभियुक्तों का संद्धर्भ भी उठा। अन्ततः सरकार को इन लोगों का मामला वापिस लेने के लिये भी अदालत से आग्रह करना पड़ा और फिर बिन्दल सहित सभी के खिलाफ मामला वापिस हो गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के मामले वापिस लिये जाने के बड़े स रू त दिशा – निर्देश सरकार से लेकर अदालत तक को जारी कर रखे हैं। इसमें यहां तक कहा गया है कि यदि कोई मामला अदालत में जाकर असफल हो जाता है और उसमें नामजद अभियुक्त छूट जाता है तो ऐसे मामलों में यह देखा जाये कि मामलों में सरकारी वकील की पैरवी में कमी रही है या फिर जांच ऐजैन्सी की जांच में कमी के कारण अभियुक्त छूटा है। इसमें जिसकी भी कमी के कारण मामला असफल हुआ हो उसके खिलाफ विभागीय कारवाई किये जाने के निर्देश हैं। इसीलिये अदालत में गये हुए मामले को वापिस लेने की जिम्मेदारी पैरवी कर रहे वकील की ही रहती है। इसमें सरकारी वकील को ही अदालत से यह आग्रह करना पड़ता है कि मामले का अदालत में सफल होना संभव नही होगा। इसमे स्पष्ट कहा गया है कि सरकारी वकील शुद्ध रूप से अपने विवेक से काम करे न कि सरकार के दबाव में। यही नही मामले की सुनवाई कर रही अदालत को भी यह हक हासिल रहता है कि वह सरकारी वकील के आग्रह को अस्वीकार कर सकता है। इस मामले में अब सरकारी वकील ने अदालत से यह आग्रह किया है कि जब नगर परिषद सोलन में यह भर्तीयां हुई थी तब भर्तीयों के लिये वहां पर कोई ठोस नियम ही नही थे। अदालत ने इस आग्रह को स्वीकारते हुए मामला वापिस लेने की अनुमति दे दी।

ऐसे में यह सवाल उठते है कि जब विजिलैन्स ने यह मामला दर्ज किया था क्या तब उन्होंने यह नही देखा कि इसमें किन नियमों की अनदेखी हुई? फिर जब विजिलैन्स जांच पूरी कर लेने के बाद चालान तैयार करती है तब उस चालान का निरीक्षण अभियोजन पक्ष करता है। क्या तब भी किसी के सामने नियम ही न होने का तथ्य सामने नही आया? फिर जब अदालत में यह चालान दायर हो गया तब इसका संज्ञान लेकर आरोप तय होते हैं और उस समय भी बचाव पक्ष अपनी दलीले रखता है। क्या तब भी किसी के सामने इतना बड़ा तथ्य नही आया? फिर आरोप तय होने के बाद अभियोजन पक्ष अपनी गवाहियां अदालत में पेश करता है। हर गवाह से बचाव पक्ष का वकील जिरह करता है क्या तब भी यह सामने नही आया कि यह तो मामला बनता ही नही है? इस मामले में तो विजिलैन्स अपना पूरा पक्ष रख चुकी थी। अब बचाव पक्ष चल रहा था। ऐसे में इस मामले में हर स्टेज पर इस गलती को पकड़ने का अवसर था जो नही पकड़ी गयी। यह गलती न पकड़े जाने के कारण इसमें नामजद रहे अभियुक्तों को करीब दो दशकों तक तो मानसिक यातना से गुजरना पड़ा है। ऐसे मे क्या अब सरकार सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सरकारी वकील और विजिलैन्स के खिलाफ कारवाई करेगी? सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के संज्ञान लेते हुए अदालत स्वयं भी यह कारवाई कर सकती है क्योंकि उसका इतना वक्त बर्बाद हुआ है। इसी के साथ यह भी महत्वपूर्ण होगा कि यदि सरकार कोई कारवाई नही करती है तो सीधे उसकी नीयत और नीति पर सवाल उठेंगे। वैसे तो विपक्ष की भी इसमें परख हो जायेगी कि वह भ्रष्टाचार के मामलो पर क्या रूख अपनाता है क्योंकि उसने भी अभी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र राज्यपाल को सौंपा है।

इसी के साथ भाजपा का अपना आरोपपत्र जो विजिलैन्स के पास जांच के लिये लंबित पड़ा है क्या सरकार उस पर कारवाई कर पायेगी ? क्या अपने आरोपों की जांच को अपने ही कार्याकाल में फैसले के अंजाम तक पहुंचा पायेगी? यह सारे सवाल एकदम नये सिरे से उठने शुरू हो गये हैं। क्योंकि भ्रष्टाचर के उन्ही आरोपों को आगे बढ़ाया जाता है जिनमें किसी के साथ स्कोर सैटल करना हो। अन्यथा हर आरोप को राजनीति से प्रेरित करार देकर उसको दबाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे मामलों में सबसे बड़ी जिम्मेदारी जांच ऐजैन्सीयों और फिर अदालत में इन मामलों की पैरवी करने वाले वकीलों की रहती है। इसलिये सर्वोच्च न्यायालय ने इन वकीलों के लिये स्पष्ट निर्देश जारी किये हैं बिन्दल का माला सरकारी वकील के आग्रह पर तब वापिस हुआ है जब वकील ने इस मामले के सफल होने पर सन्देह जताया है। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत यह मामला जांच का बनता है कि कमजोर मामला क्यों बनाया गया शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि Every acquittal has to be viewed seriouesly. फिर एक बार स्व. थिंड का मामला वापिस लेने के लिये सरकार के वकील के खिलाफ लम्बे समय तक सरकार में कारवाई चली है। इसी परिदृष्य में आज एक बार फिर वैसे ही हालात सामने हैं।

एक बड़ा सवाल

पिछले 13 सितम्बर को सर्वोच्च न्यायालय की प्रधान न्यायधीश, दीपक मिश्रा और जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ का फैसला आया है। इसमें 321 पर विस्तार से चर्चा करने के बाद अदालत ने यह कहा है कि We are compelled to recapitulate that there are frivolous litigations but that does not mean that there are no innocent sufferers who eagerly wait for justice to be done. That apart, certain criminal offences destroy the social fabric. Every citizen gets involved in a way to respond to it; and that is why the power is conferred on the Public Prosecutor and the real duty is cast on him/her. He/she has to act with responsibility. He/she is not to be totally guided by the instructions of the Government but is required to assist the Court; and the Court is duty bound to see the precedents and pass appropriate orders.

In the case at hand, as the aforestated exercise has not been done, we are compelled to set aside the order passed by the High Court and that of the learned Chief Judicial Magistrate and remit the matter to the file of the Chief Judicial Magistrate to reconsider the application in accordance with law and we so direct.

The appeal is, accordingly, allowed.

प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया 70वां गणतंत्र दिवस

शिमला/शैल। 70वां गणतंत्र दिवस पूरे प्रदेश में उल्लास व उत्साह के साथ मनाया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने ऐतिहासिक रिज मैदान शिमला पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और मार्च पास्ट की सलामी ली।

राज्यपाल ने परेड का निरीक्षण किया और 22वीं राजपूत राईफल के कैप्टन विक्रम देव सिंह के नेतृत्व मे आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली।

लेडी गवर्नर दर्शना देवी तथा मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर व मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी डॉ. साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

इस अवसर पर सेना, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, एस.एस.बी., पूर्व सैनिकों, राज्य पुलिस, होमगार्ड, स्काउट्स एवं गाइड्स, एन.सी.सी. तथा एनएसएस इत्यादि की टुकड़ियों द्वारा मार्च पास्ट प्रस्तुत किया गया।

इस दौरान प्रदेश के सभी ज़िलों के सांस्कृतिक दलों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक गतिविधियों को प्रदर्शित करती झांकियां प्रस्तुत की गईं। महात्मा गांधी जी की 11 मई, 1921 में शिमला यात्रा पर आधारित विशेष झांकी आकर्षण का मुख्य केन्द्र रही। ऊना के सांस्कृतिक दल ने प्रथम स्थान, एनजेडसीसी राजस्थान ने द्वितीय तथा योगा प्रदर्शन दल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार झांकियों में उद्योग विभाग ने प्रथम स्थान, पर्यटन विभाग ने द्वितीय स्थान तथा जन मंच पर आधारित लघु नाटिका ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। एनसीसी 'लड़कियों' की टुकड़ी ने प्रथम स्थान, एनसीसी 'लड़कों' की टुकड़ी ने द्वितीय स्थान तथा एनएसएस 'लड़कियों' की टुकड़ी को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल ने विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। राज्यपाल ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया, जिनमें ज्योतिका दत्ता, नरेश कुमार, सुमिता मेहता, शिवम कुमार तथा अभिनव भास्कर शामिल हैं।

राज्यपाल ने भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने अंडमान और निकोबार द्वीप की यात्रा के दौरान भारतीय नौसेना के जहाज कुलिश का दौरा किया। नवनियुक्त कम्पोनेंट कमांडर, अंडमान और निकोबार कमांड के कार्यवाहक कैप्टन आर विनोद कुमार और नौसेना कंपोनेंट कमांडर के चीफ स्टॉफ ऑफिसर कैप्टन प्रजित मेनन द्वारा राज्यपाल की अगवानी की गई।

यात्रा के दौरान, राज्यपाल को कमांडर दीपक बाली, कमान अधिकारी, आईएनएस कुलिश द्वारा जहाज की भूमिका और क्षमताओं के बारे में जानकारी दी गई। राज्यपाल को जहाज के संचालन कक्ष के चारों ओर ले जाया गया, जिसमें सतह-विरोधी और वायु-विरोधी हथियारों के बारे में बताया तथा हथियारों की ट्रेनिंग सहित एक युद्धक ड्रिल का प्रदर्शन किया गया था। उन्हें नेविगेशन ब्रिज और हेलीकॉप्टर लैंडिंग डेक के आसपास भी ले जाया गया, जिसमें उन्हें समुद्र में नौसंचालन और हेलीकाप्टर संचालन की बारीकियों से अवगत करवाया गया।

राज्यपाल ने पूर्वी समुद्र के सामने की सुरक्षा के लिए नौसेना घटक द्वारा चुनौतीपूर्ण भूमिका की प्रशंसा की। उन्होंने जहाज की परिचालन तत्परता की भी सराहना की और आईएनएस कुलिश के पूरे चालक दल को अपनी शुभकामनाएं दी।

70वें गणतंत्र दिवस पर अति विशिष्ट सेवा पदक से अलंकृत ले.जनरल जगदीप कुमार शर्मा

शिमला/शैल। मध्य कमान के स्टाफ अध्यक्ष ले0 जनरल जगदीप कुमार शर्मा को 70वें गणतंत्र दिवस पर सेना में विशिष्ट सेवाओं के लिए

'अति विशिष्ट सेवा पदक' से अलंकृत किया गया है। हिमाचल प्रदेश के ग्राम नेहरान पुखर, तहसील देहरा जिला कांगड़ा के रहने वाले ले0 जनरल जगदीप कुमार शर्मा पहले सैन्यधिकारी हैं जिन्हें सेना के विशिष्ठ सैन्यधिकारी के रूप में तीन सितारों से सुशोभित ले0 जनरल रैंक का पद प्राप्त हुआ है। हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह तथा संसद सदस्य अनुराग ठाकुर ने इस उपलब्धि पर ले0 जनरल शर्मा के पैत्रिक निवास पर जाकर उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी।

ले0 जनरल जगदीप कुमार शर्मा ने 27 मई 2017 को मध्य कमान के चीफ ऑफ स्टाफ (सीओएस) का पदभार संभाला था। ले0 जनरल जगदीप कुमार शर्मा ने मेकेनाईज्ड इंफेंटरी रेजिमेंट की 9वीं बटालियन में जून 1982 को कमीशन प्राप्त की थी। ले0 जनरल शर्मा दिसंबर 2002 से मई 2005 तक स्ट्राइक कोर में इसी बटालियन की कमान संभाल चुके हैं।

ले0 जनरल जगदीप कुमार शर्मा ने अपने सैन्य सेवा के दौरान विभिन्न सैन्य ऑपरेशन जिनमें – ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन त्रिशूल शक्ति, ऑपरेशन आर्किड एवं ऑपरेशन पराक्रम शामिल हैं, सफलतापूर्वक हिस्सा लिया है। ले0 जनरल शर्मा ने सेना के कई व्यावसायिक पाठयक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा किया है जिसमें दिल्ली स्थित नेशनल डिफेंस कॉलेज से किये गये सैन्य पाठयक्रम भी शामिल हैं।

ले0 जनरल ऑपरेशनल प्रभाव को बढ़ाने के साथ-साथ कमान आसूचना और प्र प्रशिक्षण में विषद् अनुभवी हैं। डोकलाम मुद्दे पर इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई है। ले0 जनरल शर्मा ने सैन्यकर्मियों के कल्याण से जुड़े विषयों पर अपनी विशेष अभिरूचि रखते हुए भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों के कल्याण के लिए कार्य किया है जिसके लिए भूतपूर्व सैनिकों एवं वीर नारियों ने इनकी प्रशंसा की है।

सैन्य सेवा के दौरान ले0 जनरल जगदीप कुमार शर्मा ने विभिन्न कमान एवं अनुदेशकीय पदों पर रहे हैं। ले0 जनरल शर्मा ऑपरेशनल योजना के तहत मिलिट्री ऑपरेशन्स महा निदेशालय में जनरल स्टॉफ ऑफीसर-1 के रूप में जुड़े रहे। ले0 जनरल जगदीप कुमार शर्मा मिलिट्री ऑपरेशन महा निदेशालय में मिलिट्री ऑपरेशन (इनफार्मेशन वारफेयर) के अपर महानिदेशक के पद पर कार्य कर चुके हैं। ले0 जनरल शर्मा अध्ययन में रूचि रखते हैं तथा साहसिक अभियानों के शौकीन हैं।

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
NOTICE INVITING TENDER

Sealed item rate tenders on form No. 6 & 8 are hereby invited by the Executive Engineer, Tauni Devi Division, HP:PWD Tauni Devi for the following works on behalf of the Governor of Himachal Pradesh from the approved and eligible contractors enlisted in HP:PWD so as to reach in this office as per time schedule given below:-

1. Date of receipt of Applications for tender forms:-	**13.02.2019**	**:**	**upto 4.00 PM**
2. Date of issue/sale of Tender forms (against cash payment):	**14.02.2019**	**:**	**upto 5.00PM**
3. Date of receipt of tender:-	**15.02.2019**	**:**	**upto 10.30 AM**
4. Date of opening of Tender:-	**15.02.2019**	**:**	**at 11.00 AM.**

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	Earnest Money	Time limit	Cost of form
1.C/O link road from Jhanikar to village Kohlwin km. 0/0 to 1/435.(SH:- P/L complete M/T in km. 1/060 to 1/435).	492341/-	9900/-	Two Months.	350/-

The tender documents shall be issued only to those contractors/firms who fulfill the following criteria and submit the following documents with the application:-
1. The valid enlistment/ registration of contractor in appropriate class.
2. Permanent Account Number (PAN).
3. GST Number.
4. Earnest money in the shape of National saving certificate/ Time deposit Account in any of the Post office in H.P. F.D.R. from any Nationalized Bank (i/c Kangra Central Cooperative Bank) duly pledged in favour of the Executive Engineer.
5. The earnest money & cost of tender form for the above works should be submitted with the application for the purchase of the tender forms. The application received without earnest money & cost of tender form shall summarily be rejected.
6. Tax Clearance Certificate (T.C.C.) issued from the concerned Excise and Taxation department.
7. Ambiguous/ telegraphic/ Conditional tenders or tender by fax/E-mail shall not be entertained/considered and will summarily be rejected.
8. Executive Engineer reserves the right to reject or cancel any or all the tenders without assigning any reasons.
9. The offer of the tender shall remain valid upto 120 days after the opening of tender.
10. If the date given above happens to be a holiday, the same shall be processed on next working day.
11. The contractors/ firms must quote their rates in words as well as in figures failing which XEN reserves the right to accept / reject any or all tenders.
12. The tender forms will not be issued to those contractors/ firms whose previous performance is not found satisfactory and who have not executed/ completed the previous awarded works within the stipulated period of completion.
13. One contractor should not have more than two major works in hand at a time.
14. Work should be completed by the contractor within the stipulated period.
15. Works completion and work in hand certificate issued by the concerned Exective Engineer must be attached with the application for issue of tender form.

Adv. No.-4257/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Engineer, HP.PWD Dodra Kawar, Distt. Shimla H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rates, in e- tendering system, in 2 cover system for the under mentioned work from the eligible and approved contractors/firms registered with HP.PWD Department.

Sr. No. Name of Work	Estimated Cost (Rs.)	EMD (Rs.)	Cost of Tender (Rs.)	Time	Eligible Class of contractors
Providing Periodical Maintenance on Rohru Chirgaon Dodra Kawar Road Km. 0/00 to 92/695 (SH:- Providing renewal coat Km. 28/00 to 30/00 200mtr pucca drain	Rs.17.98,336 /-	36,000/-	500/-	3 months	A,B,C &D Class

Key Dates:-

1. Date of online publication	23-01-2019 11:00 HRS
2. Document downloads a start and end date.	23-01-2019 11:30 HRS up to 22-02-2019 17:30 HRS
3. Bid submission start and end dates.	23-01-2019 11:30 HRS up to 22.02.2019 18:00 HRS
4. Physical submission of EMD and cost of tender Document.	23-02-2019 up to 10:30 HRS
5. Date of technical bid opening.	23.02-2019 11:00 HRS

6. Evaluation of Technical Bid followed by opening of Financial Bid. Date to be announced.
1. For other details, "Instruction to bidders" or web site https://**hptenders.gov.in** be referred. The tenders submitted by post/courier/manually will not be entertained.
2. Corrigendum if any will be uploaded on the above mentioned site.
3. Bidding documents is available on website https://**hptenders.gov.in** on mentioned dates

Adv. No.4214/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

शैल समाचार संपादक मण्डल

संपादक - बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक - जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार - ऋचा
अन्य सहयोगी
भारती शर्मा
रजनीश शर्मा
राजेश ठाकुर
सुदर्शन अवस्थी
सुरेन्द्र ठाकुर
रीना

HIMACHAL PRADESH
PUBLIC WORKS DEPARTMENT
E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

1. The Executive Engineer Mandi Division No.II HPPWD Mandi H.P on behalf of Governor of H.P invites the online bids on item rate in electronic tendering system in 2 cover system for the following works from the eligible and approved contractors/Firms registered with HPPWD department.

Sr.No. Name of Work	Estimated Cost	EMD limit	Cost of tender	Eligible class of contractor	Time limit
1. C/O Chahari School to Trambi Dehrigloo Shil Kuntbhyo Gadwanhan Doh Rewalsar Naina Devi Ji road Km. 0/0 to 2/150 under RIDF-XX(SH: C/O R/wall at RD 0/705 to 0/730)	838731-00	16775-00	350-00	"D to C"	Two Months
2. C/O Chahari School to Trambi Dehrigloo Shil Kuntbhyo Gadwanhan Doh Rewalsar Naina Devi Ji road Km. 0/0 to 2/150 under RIDF-XX(SH: C/O R/wall at RD 1/505 to 1/535)	770701-00	15415-00	350-00	"D toC"	Two Months

2. Availability of Bid Document and mode of submission: The bid document is available online and bid should be submitted online on website http://**hptenders.gov.in** bidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of bids, the bidder is required to have Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities (CA). "Aspiring bidders who have not obtained the user ID and password for participating in e-tendering in HPPWD may obtain the same from the website: http://**hptenders.gov.in** Digital signature is mandatory to participate in the e-tendering. Bidders already possessing the digital signature issued from authorized CAs can use the same in this tender.

3. Key dates:-

1. Date of online publication.	6.2.2019 at 5.00 pm
2. Document download start and end date	6.2.2019 at 5.30pm up to 20.2.2019 at 10.45 am
3. Bid submission start and end date	6.2.2019 at 5.30pm up to 20.2.2019 at 10.45 am
4. Date of technical bid opening	20.2.2019 at 11.30 AM
5. Physical submission of original documents i/c original EMD & cost of tender documents etc	Upto 20.2.2019 at 10.45 am

4. Tender Details:-
The tender documents shall be uploaded on line in 2 cover.
i) Cover 1: shall contain scanned copies of all **"Technical Documents eligibility"** information
ii) Cover 2: shall contain **"BOQ/Financial bid"** where contractor will quote his offer for each item
5. Submission of Original Documents: The bidders are required to submit (a) original demand draft towards the cost of bid document and (b) original bid security/Earnest money Deposit (EMD) and other Technical Documents with this office as specified in key dates at Sr.No.5.failing which the bids will be declared nonresponsive.
6. Bid opening Detail: The bid shall be opened on **20.2.2019 at 11.30 HRs** in the office of **Executive Engineer Mandi Division No.II HP.PWD Mandi.** If the office happens to be closed on the date of opening of the bid as specified the bid will be opened on the next working day at the same time and venue.
7. The bid for the work shall remain valid for acceptance for a period not less than 120 days after the deadline date for bid submission.
8. Other details can be seen in the bidding documents. The officer inviting tender shall not be held liable for any delays due to system failure beyond its control. Even though the system will attempt to notify the bidders of any bid updates, the Employer shall not be liable for any information not received by the bidder. It is the bidders' responsibility to verify the website for the latest information related to the tender.

Adv. No.-4296/18-19 **HIM SUCHANA AVAM JAN SAMPARK**

जसवां परागपुर में लोक निर्माण और आईपीएच के नए मण्डल खोले जाएंगे: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। कांगड़ा जिले के रक्कड़ में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग का उप-मण्डल और जसवां प्रागपुर में

लोक निर्माण और सिचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के नए मण्डल खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा जिले के कोटला बेहड़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह घोषणा की। मुख्यमंत्री का जसवां प्रागपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा होना था, लेकिन शिमला में भारी बर्फबारी के कारण यह दौरा नही हो सका। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र संसारपुर टैरेस में अग्निशमन केन्द्र और राजकीय माध्यमिक स्कूल कस्बा जागीर को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य के सभी क्षेत्रों का संतुलित और एक समान विकास सुनिश्चित कर रही है तथा उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है, जो किन्ही कारणों से उपेक्षित रह गए थे।

जय राम ठाकुर ने कहा कि संसारपुर टेरेस औद्योगिक क्षेत्र की गतिविधियों का केंद्र है और सरकार क्षेत्र में उद्यमियों को सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार केवल उन औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित कर रही है, जो पर्यावरण मित्र हैं तथा जिनमें राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की अपार संभावनाएं हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सौभाग्यशाली है कि राज्य को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उदार सहायता के कारण राज्य सरकार को एक वर्ष की अवधि में 9500 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी केंद्रीय परियोजनाओं की मंजूरी प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य में विकास की गति में और तेजी आएगी।

इससे पहले, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह ने मुख्यमंत्री की ओर से संसारपुर टैरेस में म डल आईटीआई, अमरोह में 62 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराज्जीय कनेक्टिविटी पुल तथा राजकीय डिग्री कॉलेज कोटला बेहड़ की आधारशिलाएं रखी।

उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्षेत्र के लिए विभिन्न परियोजनाओं की घोषणा करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने की कुनिहार में 49वें राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने सोलन ज़िले के कुनिहार में 49वें राज्यत्व दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हुए अर्की में पथ परिवहन निगम के उप-डिपो खोलने तथा पुलिस चौकी कुनिहार को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला छात्रा कुनिहार को अटल आदर्श विद्या केन्द्र बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कुनिहार के खेल मैदान के लिए 20 लाख रुपये प्रदान की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को राज्यत्व दिवस के शुभ अवसर पर बधाई देते हुए कहा कि राज्य ने पिछले 48 वर्षों के अभूतपूर्व प्रगति की है, जो प्रदेश के लोगों के सक्रिय भागीदारी व सहयोग से सम्भव हुआ है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने 27 दिसम्बर, 2018 को एक वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है और सरकार ने इस दौरान नई योजनाओं व पहलों को आरम्भ कर प्रदेश के सभी क्षेत्रों व वर्गों को लाभान्वित करने के सार्थक प्रयास किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है और प्रदेश के लोग शांतिप्रिय व कठिन परिश्रमी हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार 'शिखर की ओर हिमाचल' के सिद्धान्त पर कार्य कर रही है, जिसके लिए लोगों का सहयोग व समर्थन अपेक्षित है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की वर्ष 2022 तक आय को दोगुना करने के लिए वचनबद्ध है और प्राकृतिक खेती को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 25 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान नामक नई योजना आरम्भ की है और प्रदेश के किसान प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किए जा रहे हैं।

इससे पूर्व, मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया व पुलिस, गृह रक्षक, एनसीसी कैडेट्स, एनएसएस कैडेट्स, स्काउट्स एंड गाइड्स और स्कूली बच्चों की टुकड़ियों द्वारा मार्चपास्ट की सलामी ली। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने परेड का अगुवाई की।

उन्होंने इस अवसर पर 'एक बूटा बेटी के नाम' के तहत हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह कुनिहार के प्रांगण 'अर्जुन ट्री' का पौधा भी रोपा। उन्होंने पोषण अभियान के अंतर्गत अन्न-प्राषण तथा 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम' के तहत हस्ताक्षर अभियान आरम्भ किया।

इस अवसर पर विभिन्न विभागों द्वारा विकासात्मक उपलब्धियों को दर्शाती प्रदर्शनियां, झांकियां व पुलिस बैंड का प्रदर्शन आकर्षण का केन्द्र रहा।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अजय ठाकुर, कविता ठाकुर, रीतू नेगी तथा निर्मला देवी को कबड्डी, विकास ठाकुर को भारोत्तोलन, अनुराग वर्मा, आशिष चौधरी, वीरेन्द्र कुमार, गीतानन्द को बॉक्सिंग, हीरा लाल तथा वर्षा देवी को शीतकालीन खेलों, आंचल ठाकुर को स्कीइंग, जगदीश कुमार को कुश्ती, मोनाल चौहान को जुड्डो तथा डिक्की डोलमा को पर्वतारोहण के लिए 'राज्य परशुराम पुरस्कार' प्रदान किए। प्रत्येक पुरस्कार विजेता को प्रशस्तिपत्र एवं दो लाख रुपये की राशि भी प्रदान की गई।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले दलों, जिनमें आईआरबी बनगढ़ के एकलव्य क्लब और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों के दल को 51000-51000 रुपये प्रदान करने की घोषणा की।

सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट शिमला और मंडी में पायलट आधार पर शुरू करेगी सरकार

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर को यहां मेसर्स जेनिथ केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज, सतारा, महाराष्ट्र आधारित कंपनी द्वारा 'सॉलिड वेस्ट एंड

लिक्विड एफ्लुएंट ट्रीटमेंट' पर एक प्रस्तुति दी गई।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में सॉलिड वेस्ट और लिक्विड एफ्लुएंट्स का कुशल उपचार एक प्रमुख चिंता का विषय है और उनके उचित प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावी और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके ठोस कचरे की मात्रा में भारी कमी की जा सकती है। उन्होंने कहा कि डंपिंग साइटों से उठती गंध का मुद्दा एक प्रमुख चिंता है, जिसका उचित निवारण करने की आवश्यकता है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि औद्योगिक कचरे के वैज्ञानिक उपचार से वायु और जल उत्सर्जन मानकों में सुधार किया जा सकता है, जिससे पर्यावरण उद्योग के मानकों और समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस तकनीक को शिमला और मंडी शहर में पायलट आधार पर शुरू करने पर विचार कर सकती है।

प्रस्तुति के दौरान कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि बॉयो-विजार्ड उपचारित निक्षालितक (लीचएट), लाभकारी एंजाइम, उत्कृष्ट उत्प्रेरित सह-एंजाइमों और सह-कारकों, आवश्यक तेलों और पौधों के अर्क तथा विशेष रूप से तैयार पोषक तत्वों का एक संयोजन है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया न केवल लागत की दृष्टि से प्रभावी है, बल्कि इसमें कई तरह की क्रियाशील स्थितियां हैं तथा इसकी लंबी अवशिष्ट प्रभाव अवधि होने के साथ यह शत-प्रतिशत जैविक है।

बर्फबारी से 598 सड़कें अवरूद्ध सरकार द्वारा पुनर्बहाली के निर्देश

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि राज्य सरकार ने ताजा वर्षा व बर्फबारी के कारण अवरूद्ध विद्युत आपूर्ति, जलापूर्ति योजनाओं व सड़कों की शीघ्र पुनर्बहाली के निर्देश दिए हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व एवं लोक निर्माण मनीषा नन्दा मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार स्थिति का अनुश्रवण कर रही हैं। लोक निर्माण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य में 598 सड़कें अवरूद्ध हुई हैं, जिनमें से 93 सड़कों को यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है जबकि 139 सड़कों को 26 जनवरी, 2019 तक यातायात के लिए खोल दिया जाएगा तथा शेष 366 सड़कों को भी शीघ्र खोल दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा ताजा हिमपात व वर्षा के कारण सड़कों के हुए नुकसान को 62.45 करोड़ रुपये आंका गया है, जो अंतिम आंकलन के बाद बढ़ भी सकता है। उन्होंने बताया कि सड़कों की पुनर्बहाली के लिए 285 मशीनों को कार्य पर लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार 3276 प्रभावित डीटीआर में से 1735 को पुनर्बहाल कर दिया गया है जबकि शेष 1085 डीटीआर शीघ्र पुनर्बहाल कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि दक्षिण जोन इस हिमपात के कारण अधिक प्रभावित हुआ है।

बर्फबारी के कारण सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की 362 पेयजल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं और कुल क्षति 6.86 करोड़ रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित जलापूर्ति योजनाओं में से 234 को पुनर्बहाल कर दिया गया है जबकि शेष योजनाओं को दो दिनों के भीतर चालू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य/ज़िला स्तरीय एमरजेंसी ऑपरेशन केन्द्रों को हाई अलर्ट पर रखा गया है।

विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत सोलन की पाठशालाएं सम्मानित

शिमला/शैल। कृषि, जनजातीय विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा ने सोलन में 70वें जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार योजना के अंतर्गत जिला में जिला तथा खण्ड स्तर पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यालयों को सम्मानित किया।

डॉ. मारकण्डा ने जिला स्तर पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं की श्रेणी में कुनिहार विकास खण्ड के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंज्याट, जिला स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी में धर्मपुर विकास खण्ड के राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोट तथा प्राथमिक विद्यालयों की श्रेणी में सोलन विकास खण्ड की राजकीय प्राथमिक पाठशाला लगहेच को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इन सभी पाठशालाओं को 50-50 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया। उन्होंने खण्ड स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्रदान करने वाली राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को भी सम्मानित किया। खण्ड स्तर पर विकास खण्ड सोलन से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओच्छघाट, विकास खण्ड कण्डाघाट से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कुफ्टु, विकास खण्ड धर्मपुर से राजकीय उच्च विद्यालय रौड़ी, विकास खण्ड कुनिहार से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बवासी तथा विकास खण्ड नालागढ़ से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाटियां को विद्यालय स्वच्छता पुरस्कार योजना के तहत सम्मानित किया गया। इन सभी विद्यालयों को पुरस्कार के रूप में 20-20 हजार रुपये प्रदान किए गए।

खण्ड स्तर पर माध्यमिक विद्यालयों की श्रेणी में विकास खण्ड सोलन की राजकीय माध्यमिक पाठशाला खनोग, विकास खण्ड कण्डाघाट की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कण्डाघाट, विकास खण्ड धर्मपुर की राजकीय माध्यमिक पाठशाला आंजी धार, विकास खण्ड कुनिहार की राजकीय माध्यमिक पाठशाला जमरोटी तथा विकास खण्ड नालागढ़ की राजकीय माध्यमिक पाठशाला कश्मीरपुर को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी विद्यालयों को पुरस्कार के रूप में 20-20 हजार रुपये प्रदान किए गए।

खण्ड स्तर पर विकास खण्ड सोलन के राजकीय प्राथमिक विद्यालय भारती, विकास खण्ड कण्डाघाट के राजकीय प्राथमिक विद्यालय झाझा, विकास खण्ड धर्मपुर के राजकीय प्राथमिक विद्यालय पट्टा मसूलखाना, विकास खण्ड कुनिहार के राजकीय प्राथमिक विद्यालय कल्याणपुर तथा विकास खण्ड नालागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बैरछा को स्वच्छता के लिए प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। इन सभी विद्यालयों को पुरस्कार के रूप में 20-20 हजार रुपये प्रदान किए गए।

खण्ड स्तर पर स्वच्छता के लिए विकास खण्ड सोलन की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कोठों, विकास खण्ड कण्डाघाट की राजकीय उच्च पाठशाला बशोल, विकास खण्ड धर्मपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरोटीवाला, विकास खण्ड कुनिहार की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांझू तथा विकास खण्ड नालागढ़ की राजकीय उच्च पाठशाला पुरला को द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी विद्यालयों को पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपये प्रदान किए गए।

विकास खण्ड सोलन के राजकीय माध्यमिक विद्यालय लगहेच, विकास खण्ड कण्डाघाट के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रूगड़ा, विकास खण्ड कुनिहार के राजकीय माध्यमिक विद्यालय जलाणा तथा विकास खण्ड नालागढ़ के राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामपुर गुजरां को खण्ड स्तर पर स्वच्छता के लिए द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन सभी विद्यालयों को पुरस्कार के रूप में 10-10 हजार रुपये प्रदान किए गए।

यदि आप ईश्वर को अपने भीतर और दूसरे जीवो में नहीं देख सकते, तो आप ईश्वर को कहीं नहीं पा सकते .....

स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

घातक होगी मर्यादाएं लांघती राजनीति

किसी व्यक्ति या संगठन के कथ्य मे तथ्य और तर्क का अभाव होता है तब वह अपने को प्रमाणित करने के लिये ऐसी आक्रामकता का सहारा ले लेता है जिसमें भाषाई मर्यादाएं तक लांघ दी जाती है। आज देश का राजनीतिक परिदृश्य इसी दौर से गुजर रहा है। इसमें राजनीतिक दल तथ्य और तर्क के स्थान पर भाषायी अमर्यादा का शिकार होते जा रहे हैं। इस अमर्यादित भाषायी प्रयोग का अन्जाम क्या होगा? कई बार तो इसे सोचकर ही डर लगने लगता है। क्योंकि अभी एक भाजपा सांसद की जनसभा का वो वीडियो सामने आया है इसमें सांसद महोदय ने कांग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी को अपने संबोधन में ''पप्पु'' कह दिया। इस संबोधन पर वहां बैठे लोगों मे तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सभा में से उठकर एक महिला ने सांसद महोदय से यह सवाल कर दिया कि उन्होंने राहुल गांधी को अपने संबोधन में ''पप्पु'' क्यों कहा? महिला के इस सवाल पर सारी भीड़ उत्तेजित हो गयी और पूरा वातावरण हिंसक हो चला था। इस घटना से यह सामने आता है कि जनता हर छोटी-2 चीज पर गहरी नजर रख रही है। आज जनता को इस तरह के संबोधनों से गुमराह नही किया जा सकेगा उसे हर कथ्य के साथ तथ्य और तर्क भी देना होगा।

इस परिदृश्य में यदि 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार का मोटा आंकलन भी किया जाये तो सबसे पहले यही भाषायी अमर्यादा सामने आती है जिसकी कीमत भी भाजपा को चुकानी पड़ी है। इसी कारण 2014 में प्रचण्ड बहुमत लेकर सरकार बनाने वाली भाजपा को दिल्ली विधानसभा के चुनावों में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। क्योंकि लोकसभा चुनावों के दिल्ली विधानसभा आने तक मुस्लिम समुदाय के लोगों पर भाजपा के कुछ मन्त्रियों तक ने जिस भाषा में निशाना साधा उससे सीधे यह सन्देश गया कि यह पार्टी और इसका नियन्ता संघ किस हद तक मुस्लिम समाज को दूसरे दर्जे का नागरिक मानता है। दिल्ली की प्रबुद्ध जनता में इसका सकारात्मक सन्देश नही गया और परिणास्वरूप भाजपा हार गयी। प्रधानमन्त्री मोदी ने कई बार इस तरह की ब्यानबाजी करने वाले नेताओं को जुबान पर लगाम लगाने तक की नसीहत दी जिसका किसी पर कोई असर नहीं हुआ और न ही ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार और संगठन की ओर से कोई कारवाई हुई। जबकि दर्जनों वैचारिक विरोध रखने वालों के खिलाफ देशद्रोह के मामले बनाए गये। सरकार के इस आचरण से भी यही सन्देश गया कि यह सब एक सुनियोजित रणनीति के तहत हो रहा है। इसी के साथ जब आगे चलकर गो रक्षकों का अति उत्साह और लव जिहाद जैसे मामलों की स्थिति भीड़ हिंसक तक पंहुच गयी तब इससे भी इसी धारणा की पुष्टि हुई। क्योंकि इन मामलों में सबसे ज्यादा पीड़ित और प्रताड़ित दलित और मुस्लिम समाज ही हुआ। यह समाज अपने को एकदम असुरक्षित मानने पर विवश हुआ। इस समाज की परैवी करने के लिये मायावती और अखिलेश जैसे नेता भी सामने नही आ पाये। कांग्रेस के अन्दर राहुल ही नही बल्कि नेहरू-गांधी परिवार के खिलाफ सोशल मीडिया में एक जिहाद ही छेड़ दिया गया। लेकिन इस सबका प्रतिफल लोस के हर उपचुनावों में भाजपा की हार के रूप में सामने आया और जब इस हार का विश्लेषण और आकलन किया गया तो इसकी पृष्ठभूमि में समाज के इस बड़े वर्ग का आक्रोश सामने आया।

संघ -भाजपा की इस वैचारिक सोच का खुलासा स्कूलों और विश्वविद्यालयों के कई पाठयक्रमों में किये गये बदलाव से भी सामने आया। दीनानाथ बत्रा की कई पुस्तकों को इन पाठय्क्रमों में परोक्ष/अपरोक्ष रूप से स्थान दिया जाना इसका उदाहरण है। इस सबसे संघ- भाजपा की सामाजिक सोच और समझ को लेकर बुद्धिजीवी समाज में एक अलग ही धारणा बनती चली गयी। इस सामाजिक सोच- समझ के साथ ही प्रशासनिक और आर्थिक स्तर पर भी मोदी सरकार अपने को प्रमाणित नही कर पायी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल की नियुक्ति 2014 के अन्ना आन्दोलन का केन्द्रिय मुद्दा था। इस आन्दोलन के परिणामस्वरूप ही मनमोहन सिंह सरकार को लोकपाल विधेयक संसद में लाना और पारित करवाना पड़ा। इसके बाद आयी मोदी सरकार को केवल लोकपाल की नियुक्ति करने का ही काम बचा था जो आज तक नही हो पाया। यही नहीं मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम से आपराधिक सांठ-गांठ का प्रावधान ही हटा दिया। जिसे टूजी स्कैम मनमोहन सिंह सरकार के समय केन्द्र के मन्त्री, सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी और कारपोरेशन जगत के अधिकारी जेल गये थे। उस मामले की पैरवी में मोदी सरकार के वक्त में यह सारे लोग छूट गये और अदालत को यह कहना पड़ा कि यह स्कैम हुआ ही नही था। इससे भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता का सच सामने आ जाता है। इसी सच का प्रमाण है कि सरकार राफेल मामले में संसदीय जांच का सामना करने से डर रही है। इसी कारण आज चुनावों की पूर्व संध्या पर सीबीआई को अखिलेश और हुड्डा के खिलाफ सक्रिय किया गया है। इस सक्रियता पर स्वभाविक रूप से यह प्रश्न उठ रहा है कि इन मामलों में सरकार और सीबीआई पांच वर्ष क्या करती रही। इससे अनचाहे ही सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठने लगे हैं।

दूसरी ओर आर्थिक मुहाने पर भी सरकार की कोई बड़ी सकारात्मक उपलब्धि नही है। आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान करते हुए जब आठ लाख की आय तक के व्यक्ति को सरकार गरीब मान रही है तो इस मानक के आधार पर तो शायद देश की 70% से अधिक जन संख्या गरीब निकलेगी। क्योंकि देश के किसान और बागवान तो शायद 1% भी ऐसा नही निकल पायेगा जो साठ हजार रूपये प्रतिमाह कमा पा रहा हो। इस मानक से सरकार की व्यवहारिक सोच पर प्रश्न उठने लगा है। नोटबन्दी में 99% से अधिक पुराने नोट नये नोटों के साथ बदल दिये गये हैं। इकट्ठे कालेधन को लेकर किये गये सारे दावों और प्रचार का सच सामने आ गया है। इसी तरह जीएसटी में किये गये संशोधनों से यह सामने आ गया कि यह फैसला जल्दबाजी में किया गया था। इस फैसले से रोजगार के अवसर पैदा होने की बजाये काफी कम हुए हैं। इस तरह मोदी सरकार का हर बड़ा फैसला देशहित में पूरा खरा नही उतरा है। बल्कि इन फैसलों के बाद यह चुनाव सीधे-सीधे दो विचारधाराओं मे से चयन का चुनाव होने जा रहा है। क्योंकि देश वाम विचारधारा को देश आज तक स्वीकार नही कर सका है और दक्षिण पंथी विचारधारा की परीक्षा मोदी शासन में हो चुकी है।

इस राष्ट्र को ऋषियों ने अपने तेज और ओज से पैदा किया

'गौतम चौधरी'

भद्रं इच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः
तपो दीक्षां उपसेदुः अग्रे।
ततो राष्ट्रं बलं ओजश्च जायम्।
तदस्यै देवा उपसंनमन्तु।
(अथर्व वेद संहिता – 19/41/9)

अथर्व वेद का यह शीर्षक हमें बताता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने ज्ञान और ओज से जगत के कल्याण के लिए राष्ट्र उत्पन्न किया। मतलब साफ है कि जो लोग यह कहते हैं कि भारत को संगठित करने में अग्रेजों ने अपनी भूमिका निभाई यह सरासर गलत है। भारत अनादि काल से एक संगठित राष्ट्र के रूप में स्थित रहा है। राष्ट्र जीवन के इतिहास में भारत में कई मौके आए जब भारत प्रतंत्र हुआ और फिर आजाद हुआ। यहां की संस्कृति को दुनिया की संस्कृति कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी क्योंकि यहां दुनियाभर के लोग आए और अपनी-अपनी संस्कृति को यहां स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन वे सफल नहीं हो सके अपितु वे यहां की संस्कृति का अंग बनकर रह गए।

15 अगस्त सन् 1947 को भारत अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त हो गया था। इसके बाद सबसे बड़ी समस्या भारत को संगठित करने की थी। हमारा संविधान बनना था और यह भी तय होना था कि आखिर भारत किस रास्ते चलेगा। हम अधिनायकवाद को स्वीकार नहीं कर लोकतंत्र पर भरोसा किया और दुनिया के अभिनव संवैधानिक प्रयोग को अपने देश में स्थापित करने की कोशिश की। हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया और हमारे नेताओं ने आज ही के दिन 26 जनवरी सन् 1950 को हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद हुआ यानी हमारे नेताओं ने भारत को पूर्ण गणतंत्र के रूप में घोषित कर दिया।

मतलब आज ही के दिन हमारे देश को नया संविधान मिला था। दरअसल, यह दिन केवल संविधान की स्थापना के लिए ही नहीं जाना जाता है अपितु 1929 में लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें प्रस्ताव पारित कर इस बात की घोषणा की गई कि अगर अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमीनियन का पद नहीं प्रदान करेगी, जिसके तहत भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित एकाई बन जाता, तो भारत अपने को पूर्णत: स्वतंत्र घोषित कर देगा। 26 जनवरी 1930 तक जब अंग्रेज सरकार ने कुछ नहीं किया तब कांग्रेस ने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा की और अपना सक्रिय आंदोलन आरंभ किया। इसलिए भी आज के दिन को महत्व दिया जाता है।

आज पूरा देश 69वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। आज ही के दिन साल 1950 में भारत सरकार अधिनियम (एक्ट) (1935) को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। वहीं 26 नवम्बर 1949 को भारतीय संविधान सभा की ओर से संविधान अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक सरकार प्रणाली के साथ लागू कर दिया गया। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय राष्ट्र ध्वज को फहराया जाता है। इस अवसर पर हर साल एक भव्य परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन (राष्ट्रपति के निवास) तक राजपथ पर राजधानी, नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। इस भव्य परेड में भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं।

परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति (सैनिकों के लिए एक स्मारक)जो राजपथ के एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित है पर पुष्प माला डालते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति में दो मिनट मौन रखा जाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री, अन्य व्यक्तियों के साथ राजपथ पर स्थित मंच तक आते हैं, राष्ट्रपति बाद में अवसर के मुख्य अतिथि के साथ आते हैं। परेड में विभिन्न राज्यों की प्रदर्शनी भी होती हैं, प्रदर्शनी में हर राज्य के लोगों की विशेषता, उनके लोक गीत व कला का दृश्यचित्र प्रस्तुत किया जाता है।

इस दिन सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया था कि प्रतिवर्ष 26 जनवरी का दिन 'पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन सभी स्वतंत्रता सेनानी पूर्ण स्वराज का प्रचार करेंगे। इस तरह 26 जनवरी अघोषित रूप से भारत का स्वतंत्रता दिवस बन गया था। 31 दिसंबर 1929 की मध्यरात्रि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया। 25 नवंबर 1949 को देश के संविधान को मंजूरी मिली। 26 जनवरी 1950 को सभी सांसदों और विधायकों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके दो दिन बाद यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया।

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 10 बजकर 18 मिनट पर लागू हो गया। लिखित संविधान में कई बार संशोधन होने के बाद इसे अपनाने में 2साल,11 महीने और 18 दिन का समय लगा।

26 जनवरी 1950 को डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने गवर्नमेंट हाउस के दरबार हाल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। इविज़्न स्टेडियम में झंडा फहराया गया। यही पहला गणतंत्र दिवस समारोह था। मुख्य अतिथि थे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो। गणतंत्र दिवस मनाने का वर्तमान तरीका 1955 में शुरू हुआ। इसी साल पहली बार राजपथ पर परेड हुई। राजपथ परेड के पहले मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। संविधान में संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। सोवियत संघ के संविधान से मूल कर्तव्य और आस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची ली गई है।

गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है। फिर राष्ट्रगान गाया जाता है और 21 तोपों की सलामी होती है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध व्यवस्था जर्मनी के संविधान से ली गयी है। डॉ. भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनाया गया भारतीय संविधान 395 अनुच्छेदों और 8 अनुसूचियों के साथ दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान था जो और भी विस्तृत हो चुका है।

1950 से 1954 के बीच गणतंत्र दिवस का समारोह कभी इर्विन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला तो कभी रामलीला मैदान में हुआ था न कि राजपथ पर। 211 विद्वानों द्वारा 2 महीने और 11 दिन में तैयार भारत के संविधान को लागू किए जाने से पहले भी 26 जनवरी का बहुत महत्व था। 26 जनवरी एक विशेष दिन के रूप में चिन्हित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1930 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार तिरंगे झंडे को फहराया गया था। साथ-साथ एक और महत्वपूर्ण फैसला इस अधिवेशन के दौरान लिया गया। वर्ष 1950 से 1970 के दौरान गुट निरपेक्ष आंदोलन और पूर्वी ब्लॉक या कम्युनिस्ट ब्लॉक के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों की मेजबानी करवाई गई तो शीत-युद्ध के पश्चात पश्चिम देशों को न्यौता दिया गया।

भारत के आजाद हो जाने के बाद संविधान सभा की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसम्बर 1947 से आरम्भ कर दिया। संविधान सभा ने 2 साल, 11 महीने, 18 दिन में भारतीय संविधान का निमाज्ण किया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान सुपूर्द किया, इसलिए 26 नवम्बर दिवस को भारत में संविधान दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। कई सुधार और बदलाव के बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को संविधान की दो हस्तलिखित कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके दो दिन बाद संविधान 26 जनवरी को यह देश भर में लागू हो गया। 26 जनवरी का महत्व बनाए रखने के लिए इसी दिन संविधान निर्मात्री सभा (कांस्टीटयूएंट असेंबली) द्वारा स्वीकृत संविधान में भारत के गणतंत्र स्वरूप को मान्यता प्रदान की गई।

कुल मिलाकर हमारा देश, फिर से अपने पुराने वैभव की ओर बढ़ रहा है। कालांतर में भव्य इमारतें ध्वस्त हो जाती है लेकिन नींव के पत्थर नहीं डिगते। भारत के साथ यही होता रहा है। यहां दुनिया भर से आक्रांता आए, व्यापारी आए, मजदूर और चरवाहे आए। सब ने अपनी संस्कृति और देवता साथ लाए। हर ने कोशिश की कि यहां की संस्कृति पर अपना अधिकार कर लें लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। समय-समय पर हमारा राष्ट्र प्रभावशाली होता रहा और आधुनिक से आधुनिक बनता चला गया। आज एक बार फिर हमारा राष्ट्र उचांईयों की ओर बढ़ रहा है क्योंकि इस राष्ट्र को ऋषियों के तेज और ओज ने पैदा किया है।

रौशन है लोकतंत्र....क्योकि जगमग है रायसिना हिल्स की इमारते !

'पुण्य प्रसून बाजपेयी'

तो 70वें गणतंत्र दिवस को भी देश ने मना लिया। और 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर भारत को तीन 'भारत रत्न' भी मिल गये। फिर राजपथ से लेकर जनपथ और देश भर के राज्यों में राज्यपालों के तिरंगा फहराने के सिलसिले तले देश के विकास और सत्ता की चकाचौंध को बिखराने के अलावे कुछ हुआ नही तो गणतंत्र दिवस भी सत्ता के उन्ही सरमायदारो में सिमट गया जिनकी ताकत के आगे लोकतंत्र भी नतमस्तक हो चुका है। संविधान लागू हुआ तो 1952 में आम चुनाव संपन्न हुआ। तब चुनाव आयोग का कुल दस करोड रुपया खर्च हुआ। और गणतंत्र बनने के 70वें बरस जब देश चुनाव की दिशा में बढ़ चुका है तो हर उममीदवार अपनी ही सफेद – काली अंटी को टटोल रहा है कि चुनाव लडने के लिये उसके पास कितने सौ करोड रुपये है। पर आज इस बात को दोहराने का कोई मतलब नही है लोकतंत्र कहलाने के लिये देश का चुनावी तंत्र पूंजी तले दब चुका है। जहा वोटों की किमत लगा दी जाती है। और हर नुमाइन्दे के जूते तले आम लोगों की न्यूनतम जरुरते रेंगती दिखायी देती हैं। और जब नुमाइन्दे समूह में आ जाये तो पार्टी बन कर देश की न्यूनतम जरुरतों को भी सत्ता अपनी अंटी में दबा लेती है। यानी रोजगार हो या फसल की किमत। शिक्षा अच्छी मिल जाये या हेल्थ सर्विस ठीक ठाक हो जाये। पुलिस ठीक तरह काम करें या संवैधानिक संस्थान भी अपना काम सही तरीके से करें। पर ऐसा तभी संभव है जब सत्ता माने। सत्ताधारी समझे। और नुमाइन्दो का जीत का गणित ठीक बैठता हो। यानी देश किस तरह नुमाइन्दो की गुलामी अपनी ही जरुरतो को लेकर करता है ये किसी से छुपा नही है। हां, इसके लिये लोकतंत्र के मंदिर का डंका बार बार पीटा जाता है। कभी संसद भवन में तो कभी विधानसभाओं में। और नुमाइन्दो की ताकत का एहसास इससे भी हो सकता है मेहुल चोकसी देश को अरबो का चूना लगाकर जिस तरह एंटीगुआ के नागरिक बन बैठे वैसे बाईस एंटीगुआ का मालिक भारत में एक सासंद बन जाता है। यानी संसद में तीन सौ पार सासंदो की यारी या ठेंगा दिखाकर माल्या, चौकसी या नीरव मोदी समेत दो दर्जन से ज्यादा रईस भाग चुके हैं और संसद इसलिये बेफिक्र है क्योकि अपने अपने दायरे में हर सांसद कई माल्या और कई चौकसी को पालता है और अपने तहत आने वाले 22 लाख से ज्यादा वोटरों का रहनुमा बनकर संविधान की आड में रईसी करता है। जी, एंटिगुआ की कुल जनसंख्या एक लाख है और भारत में एक सांसद के तहत आने वोले वोटरो की तादाद 22 लाख। सच यही है कि दुनिया में भारत नंबर एक का देश है जहा सबसे ज्यादा वोटर एक नुमाइन्दे के तहत रहता है। 545 सासंदो वाली लोकसभा में हर एक सासंद के अधिन औसतन बाईस लाख बीस हजार 538 जनता आती है। और चीन जंहा की जनसंख्या भारत से ज्यादा वहां नुमाइन्दो की तादाद भारत से करीब छह गुना ज्यादा है । यानी चीन के एक सांसद के तहत 4 लाख 48 हजार 518 जनसंख्या आती है क्योकि वहा सांसदो की तादाद 2987 है। और अमेरिका में एक सांसद के उपर 7 लाख 22 हजार 636 जनसंख्या का भार होता है तो रुस में तीन लाख 18 हजार जनसंख्या एक नुमाइन्दे के अधिन होती है। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या छोटे राज्यों के साथ साथ अब देश में सासंदो की तादाद भी बढ़ाने की जरुरत है। लेकिन जिन हालातों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की लूट में लोकतंत्र के प्रतिक बने नुमाइदे ही शामिल है उसमें तो लूट की भागीदारी ही बढ़ेगी। यानी चोरों और अपराधियों की टोली ज्यादा बड़ी हो जायेगी। मसलन अभी 545 सासंदो में से 182 ऐसे दागी है जो भ्रष्ट्राचार और कानून को ताक पर रख अपना हित साधने के आरोपी हैं। तो फिर जनता के लिये कितना मायने रखता है लोकतंत्र का मंदिर। और लोकतंत्र के मंदिर के सबसे बड़े मंहत की आवाज भी जब उनके अपने ही पंडे दरकिनार कर दे तो क्या माना जाये। मसलन, देश के प्रधानसेवक लालकिले के प्रचीर से आहवान करते है कि एक गांव हर सासंद को गोद ले लें। क्योकि उसे हर बरस पांच करोड रुपये मिलते हैं तो भारत में औसतन एक गांव का सालाना बजट विकास के लिये सिर्फ 10 लाख का होता है तो कम से कम वह तो विकास की पटरी पर दौडने लगे। पहले बरस होड लग जाती है। लोकसभा – राज्यसभा के 796 सांसदो में से 703 गांव गोद भी ले लेते हैं। अगले बरस ये घटकर 461 परआता है। 2017 में ये घटकर 150 पर पहुंच जाता है और 2018 में ये सौ के भी नीचे आ जाता है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि गांव तक गोद लेने में सांसदो की रुची नही रही। सवाल तो ये है कि 2015 में ही जिन 703 गांव को गोद लिया गया उसके 80 फिसदी गांव की हालत यानी करीब 550 गांव की हालात गोद लेने के बाद और ही जर्जर हो गई । ये सोच है पर देश के सामने तो लूट तले चलती गवर्नेंस का सवाल ज्यादा बडा है। और इसके लिये रिजर्व बैंक के आंकडे देखने समझने के लिये काफी है। जहा जनता का पैसा कर्ज के तौर पर कोई कॉरपोरेट या उद्योगपति बैंक से लेता है। उसके बाद देश के हालात ऐसे बने है कि ना तो उद्योग पनप सके। ना ही कोई धंधा या कोई प्रजोक्ट उडान भर सके। लेकिन इकनामी का रास्ता लूट का है तो फिर बैकिंग सिस्टम को ही लूट में कैसे तब्दिल किया जा सकता है ये भी आंकडो से देखना कम रोचक नहीं है । मसलन 2014 – 15 में कर्ज वसूली सिर्फ 4561 करोड़ की हुई और कर्ज माफी 49,018 करोड की हो गई। 2015 – 16 में 8,096 करोड रुपये कर्ज की वसूल की गई तो 57,585 करोड रुपये की कर्ज माफी हो गई। इसी तरह 2016 – 17 में कर्ज वसूली सिर्फ 8,680 करोड रुपये की हुई तो 81,683 करोड की कर्ज माफी कर दी गई। और 2017 – 18 में बैको ने 7106 करोड रुपये की कर्ज वसूली की तो 84,272 करोड रुपये कर्ज माफी हो गये । यानी एक तरफ अगर किसानों की कर्ज माफी को परखे तो सत्ता के पसीने छूट जाते है कर्ज माफी करने में। लेकिन दूसरी तरफ 2014 से 2018 के बीच बिना हंगामे के 2,72,558 करोड रुपये राइटिग ऑफ कर दिये गये। यानी बैंको के दस्तावेजो से उसे हटा दिया गया जिससे बैक घाटे में ना दिखे। कमाल की लूट प्रणाली है। लेकिन लोकतंत्र का तकाजा यह है कि सत्ता ही संविधान है तो फिर गणतंत्र दिवस भी सत्ता के लिये। इसीलिये लोकतंत्र की पहरीदारी करने वाले सेवक, स्वयसेवक, प्रधानसेवक सभी खुश है कि रायसीना हिल्स की तमाम इमारते रौशनी में नहायी हुई है। तो लोकतंत्र इमारतों में बसता है और उसकी पहचान अब उसका काम या संविधान की रक्षा नहीं बल्कि एलईडी की चमक है।

पिछड़े वर्गों की महिलाओं का सहारा बनी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं

प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गा के बच्चों और महिलाओं के सामाजिक – आर्थिक उत्थान क लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं ताकि उन्हें सुरक्षा, वित्तीय सहायता और सम्मानजनक जीवन जीने के अवसर प्राप्त हो सकें। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अंतर्गत गठित महिला एवं बाल विकास निदेशालय के माध्यम से महिला सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

वर्तमान सरकार ने बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल परिवार में जन्म लेने वाली बालिका को जन्म पश्चात् दी जाने वाली एकमुश्त अनुदान सहायता राशि को 10,000 रूपये से बढ़ाकर 12,000 रुपये किया गया है। गरीब महिलाओं को मदर टेरेसा असहाय मातृ संबल योजना के अन्तर्गत अपने बच्चों के पालन – पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि को भी 4000 रुपये से बढ़ाकर 5000 रुपये प्रति बच्चा प्रति वर्ष किया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को राज्य बजट से दिए जाने वाल अतिरक्त मानदेय में 300 रुपये प्रति माह की वृद्धि की गई है।

राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए प्रदेश के पांच जिलों – चम्बा, हमीरपुर, शिमला सोलन व ऊना को चयन किया गया है। अभियान के अन्तर्गत प्रारम्भ में उन जिलों का चयन किया गया है जहां कम वजन, ठिगनेपन, विकास अवरुद्धता और अनीमिया इत्यादि की समस्या अधिक है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय के निर्देश के अनुसार हिमाचल प्रदेश में सितम्बर 2018 को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया गया।

भारत सरकार द्वारा पोषण माह के दौरान अलग – अलग स्तरों पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए हिमाचल को पांच श्रेणियों क्रमश: व्यक्तिगत कार्य, ग्राम स्तर पर संयुक्त प्रयास, ग्राम स्तरीय समन्वय समिति के लिए, जिला स्तरीय उत्कृष्ट कार्य व नेतृत्व प्रदान करने और राज्य स्तरीय सोशल मीडिया में प्रचार – प्रसार के लिए नीति आयोग ने पुरस्कार प्रदान किए हैं।

ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए छात्र स्वयसेवकों की सहभागिता से समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नई योजना महिला शक्ति केंद्र को आरंभ में प्रदेश के तीन जिलों ऊना, कांगड़ा और हमीरपुर में स्वीकृत किया गया। अब प्रदेश के छह और जिलों – चम्बा, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर तथा मण्डी में भी महिला शक्ति केंद्रों को चलाने की अनुमति दी गई है।

हिमाचल सरकार ने कन्या सशक्तिकरण के दृष्टिगत सक्षम गुड़िया बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड बालिकाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए नीति, सुरक्षा से संबंधित नियमों, नीतियों और कार्यक्रमों पर सिफारिश देगा। इसके अतिरिक्त यह बोर्ड बालिकाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न विभागों द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की भी समीक्षा कर रहा है। साथ ही बालिकाओं व किशोरियों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए भी यह सुझाव देगा।

सशक्त महिला योजना जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में की थी, के अन्तर्गत महिलाओं को पंचायत स्तर पर संगठित करके उनके अधिकारों के प्रति जागरुक कराना, सरकार द्वारा ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के बारे में अवगत करवाकर उन्हें कौशल विकास प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाना है। यह योजना किशोरियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेगी तथा उन्हें मासिक धर्म, स्वच्छता व आत्मसम्मान बढ़ाने के विषयों पर भी जागरुक करेगी। योजना के अन्तर्गत दायरे में 11 से 18 वर्ष की लड़कियों और उन सभी महिलाओं को लाया गया है जिनकी आयु 19 से 45 वर्ष है।

सशक्त महिला योजना के अन्तर्गत हर पंचायत मे सशक्त महिला केन्द्र बनाए जाएंगे जिनका संचालन 19 से 45 वर्ष की आयु की महिलाएं करेंगी। यह केन्द्र महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे अवगत करवाएंगे तथा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक से जोड़ेंगे तथा कौशल विकास प्रशिक्षण देंगे। महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के लिए महिलाओं को पर्यटन विभाग, मदिंर ट्रस्ट तथा उद्योग विभाग से जोड़ा जाएगा।

केंद्र प्रायोजित प्रधान मंत्री मातृ वन्दना योजना को भी प्रदेश में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत मजदूरी की क्षति के बदले में नकद राशि को प्रोत्साहन के रूप मे आंशिक क्षतिपूर्ति प्रदान करना है ताकि महिलाएं पहले जीवित बच्चे के जन्म से पहले और बाद में पर्याप्त विश्राम कर सकें। जो महिलाएं केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान मे लागू किसी कानून के अर्न्तगत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, उनको छोड़कर सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली माताएं जो पहली बार मां बनी हैं या बनने जा रही हैं, इस योजना का लाभ ले सकती हैं। वित्तीय सहायता के रूप में इन महिलाओं को तीन किश्तों मे 5,000 रुपये का नकद लाभ दिया जा रहा है।

फालुन दाफा–जीवन में स्वास्थ्य और सामंजस्य का मार्ग

आज के तेज रफ्तार जीवन में हम सभी एक रोगमुक्त शरीर और चिंता और तनाव से मुक्त मन की इच्छा रखते हैं। किन्तु जितना हम इस लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं, उतना ही यह दूर जान पड़ता है। ऐसा लगता है कि परिवार की समस्याओं, नौकरी के दबाव, अंतर – व्यक्तिगत संघर्ष और हमारे करीबी और प्रिय लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कोई अंत नही है। आज के जीवन की समस्याओं के लिए क्या हमारे पास कोई हल है?

दुनिया भर के लाखों लोगों ने फालुन दाफा (जो फालुन गोंग के नाम से भी जाना जाता है) के प्राचीन ध्यान अभ्यास में अपने जवाब पाये हैं। फालुन दाफा में 5 सौम्य और प्रभावी व्यायाम सिखाये जाते हैं. ये व्यायाम व्यक्ति की शक्ति नाड़ियों को खोलने, शरीर को शुद्ध करने, तनाव से राहत और आंतरिक शांति प्रदान करने में सहायता करते हैं। व्यायाम सरल, प्रभावी और सभी आयु के लोगों के लिए उपयुक्त हैं। फालुन दाफा मन और शरीर दोनों का अभ्यास है। व्यायाम जो व्यक्ति के शरीर की शक्ति का रूपांतरण करते हैं उनके आलावा, यह अभ्यास रोज़मर्रा के जीवन में सच्चाई, करुणा और सहनशीलता के मूलभूत नियमों का पालन करके व्यक्ति के नैतिक चरित्र को ऊपर उठाना भी सिखाता है। हमारे मन की स्थिति सीधे हमारे शरीर को प्रभावित करती है। इसलिए मन की एक सकारात्मक और शुद्ध अवस्था अंतत: एक स्वस्थ शरीर की ओर ले जाएगी। यह एक कारण है कि फालुन दाफा अभ्यास इतना प्रभावशाली सिद्ध हुआ है।

दुनिया भर के लाखों लोगों ने फालुन दाफा अभ्यास को अपने रोज़मर्रा के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। सीधे शब्दों में कहें तो, वे स्वास्थ्य और सामंजस्यपूर्ण जीवन की दिशा में इसे अपने समय का एक योग्य और सुखद निवेश पाते हैं। इसे सीखने के लिए केवल एक खुले मन और उदार हृदय की आवश्यकता है। आप भी स्वयं इस अद्भुत अभ्यास के बारे में और अधिक सीख और जान सकते हैं। फालुन दाफा की पुस्तकें, व्यायाम निर्देश और अभ्यास स्थलों कि जानकारी इसकी वेबसाइट www.falundafa.org और www. falundafaidia.org पर उपलब्ध है। फालुन दाफा सदैव नि:शुल्क सिखाया जाता है।

हमारे देश में भी हजारों लोग दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, नागपुर, पुणे आदि शहरों में फालुन दाफा का अभ्यास कर रहे हैं। अनेक स्कूलों में इसका नियमित अभ्यास किया जाता है, जिसका सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थियों के परीक्षा परणामों, नैतिक गुण और शारीरिक स्वास्थ्य में दिखाई पड़ता है। फालुन दाफा का प्रदर्शन विभिन्न शहरों में आयोजित पुस्तक प्रदर्शनियों और सार्वजनिक स्थलों में किया जाता है। फालुन दाफा की निशुल्क वर्कशॉप अपने स्कूल, कॉलेज या ऑफिस में आयोजित कराने के लिए इसके स्वयसेवकों से संपर्क किया जा सकता है।

49वें पूर्ण राज्यत्व दिवस

हिमाचल प्रदेश में सर्वस्पर्शी एवं समग्र विकास का नवयुग

हिमाचल प्रदेशवासियों के लिए 25 जनवरी का दिन, एक महत्वपूर्ण एवं यादगार अवसर है। वर्ष 1971 को इसी ऐतिहासिक दिन, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ और यह सुन्दर पहाड़ी प्रदेश, भारतीय गणतंत्र का 18वां राज्य बना। पूर्ण राज्य बन जाने के साथ ही, हिमाचल के लोगों को अपनी विकासात्मक आकांक्षाएं पूरी करने का सुनहरा अवसर मिला और प्रदेश के विकास को नई बुलन्दियों की ओर ले जाने के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस पावन अवसर पर, मैं प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं।

यह ऐतिहासिक दिवस, उन महान सपूतों और देशभक्तों को स्मरण करने और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का भी है, जिन्होंने इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने और इसे विशेष पहचान दिलाने में अपना भरपूर योगदान दिया है। यह अवसर हिमाचल निर्माता एवं प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार को विशेष तौर पर स्मरण करने तथा उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने का भी है, जिन्होंने इस प्रदेश के भावी विकास की ठोस नींव रखी है।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने, 27 दिसम्बर, 2018 को अपने सेवाकाल का एक वर्ष पूरा किया है। यह अवधि ईमानदार प्रयासों के साथ सुशासन, सेवा और विकास को समर्पित रही है। इस अवधि में अभिनव योजनाएं आरम्भ करके, सभी वर्गों और सभी क्षेत्रों तक, विकास योजनाओं के लाभ पहुंचाने के सार्थक प्रयास किए गए हैं।

प्रदेश के विकास को नई दिशा प्रदान करने के इन प्रयासों की, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भी प्रशंसा की गई है। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले कुछ वर्षों में, यह प्रदेश ऐसी ताकत बनकर उभरेगा, पहाड़ी राज्यों अथवा छोटे राज्यों में कोई हिमाचल की स्पर्धा नहीं कर पाएगा।

प्रधानमंत्री इस प्रदेश की चुनौतियों और विकासात्मक आवश्यकताओं से भली-भांति परिचित हैं और हिमाचलवासी उनके दिल के करीब हैं। यही कारण है कि केन्द्र में नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में सरकार के होते हुए, इस प्रदेश के विकास की गति में, धन की कमी कभी आड़े नहीं आ सकती।

एक वर्ष के भीतर, केन्द्र सरकार से पर्यटन, कृषि-बागवानी, सिंचाई तथा पेयजल संवर्धन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 9500 करोड़ रुपये की बड़ी परियोजनाओं और इस दौरान प्राप्त उदार वित्तीय सहायता के परिणामस्वरूप, प्रदेश के विकास को नए पंख लगे हैं और हिमाचल में सर्वस्पर्शी विकास का नवयुग आरम्भ हुआ है। प्रधानमंत्री द्वारा प्रदेश सरकार के कार्यों की प्रशंसा करने और प्रदेश को उदार वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश सरकार और समस्त प्रदेशवासी उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने 27 दिसम्बर, 2017 को जब शासन की बागडोर संभाली थी, उस समय प्रदेश में आम आदमी की सुरक्षा का संकट था और भ्रष्टाचार का बोलबाला था। विकास की रफ्तार पूरी तरह थमी हुई थी। प्रदेश सरकार ने सुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करके, सरकार में लोगों के विश्वास को कायम करने और महिलाओं, असहाय व निर्बल वर्गों की सुरक्षा तथा सशक्तिकरण की दिशा में तुरंत कदम उठाए। गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति बटन ऐप की शुरूआत इस दिशा में बड़े कदम थे। इसके अतिरिक्त, होशियार सिंह हेल्पलाइन भी शुरू की गई ताकि वन माफिया, खनन माफिया और ड्रग माफिया पर अंकुश लगाया जा सके। प्रदेश में नशे के विरूद्ध भी एक व्यापक अभियान आरम्भ किया गया ताकि युवा पीढ़ी को नशे के जहर से सुरक्षित रखा जा सके।

प्रदेश सरकार ने समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सम्मान की दिशा में भी तुरंत कदम उठाए। अपनी पहली मंत्रिमण्डल की बैठक में, वृद्धजनों के प्रति आदर-सत्कार का भाव प्रकट करते हुए, सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने की आयु सीमा को 80 वर्ष से घटाकर 70 वर्ष किया गया। इसमें कोई आय सीमा भी नहीं रखी गई। इस निर्णय से उस समय 1.30 लाख वृद्धजनों को लाभ पहुंचा। अब इस दायरे में 2 लाख वृद्धजन आ चुके हैं, जिन्हें 1300 रुपये प्रतिमाह की दर से बढ़ी हुई पेंशन मिल रही है।

सरकार ने विभिन्न वर्गों के 76 हजार से भी ज्यादा नए पेंशन मामले स्वीकृत किए। प्रथम जनवरी, 2019 से 21 हजार और नए मामले स्वीकृत किए गए हैं। इस समय प्रदेश में 5 लाख 11 हजार 126 जरूरतमंद व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिल रही है।

प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही बजट में 30 से अधिक नई योजनाओं की घोषणा की थी। इन सभी योजनाओं पर कार्य आरम्भ हो चुका है, जिनमें जनमंच, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना तथा मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना विशेष रूप से लोकप्रिय हुई है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन, कृषि-बागवानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में आरम्भ की गई नई योजनाओं के परिणामस्वरूप लोगों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है।

प्रदेश के दूर-दराज क्षेत्रों में रह रहे लोगों की शिकायतों का निपटारा, उनके घर-द्वार पर करने के उद्देश्य से आरम्भ 'जनमंच' सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय कार्यक्रम बना है। अब छोटे-छोटे कार्यों के लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 3 जून, 2018 को प्रदेश में जनमंच का प्रथम दौर आयोजित किया गया था, तब से अब तक जनमंच के, दस दौर आयोजित हो चुके हैं, जिनमें 22 हजार से भी अधिक शिकायतों का समाधान किया जा चुका है। जनमंच की लोकप्रियता को देखते हुए, अन्य राज्य भी इसका अनुसरण करने के प्रति प्रेरित हुए हैं।

प्रदेश की गृहिणियों को चूल्हे के धुएं से निजात दिलाने के लिए 'हिमाचल गृहिणी सुविधा' योजना आरम्भ की गई है। केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना से वंचित परिवारों को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए

जय राम ठाकुर
मुख्यमंत्री (हि.प्र.)

आरम्भ की गई यह योजना भी बड़ी लोकप्रिय एवं सफल हुई है। प्रथम चरण में, 12 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 33,264 परिवारों को यह सुविधा प्रदान की गई। योजना के लिए 10.75 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करके, लगभग इतने ही परिवारों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का द्वितीय चरण आरम्भ कर दिया गया है। आगामी पांच माह में सभी परिवारों को गैस कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का प्रथम राज्य बन जाएगा।

युवाओं के स्वावलम्बन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी कारगर कदम उठाए गए हैं। प्रदेश में बड़े पैमाने पर कौशल विकास योजनाएं आरम्भ की गई हैं, जिनमें यथायोग्य प्रशिक्षण प्रदान करके युवाओं को रोजगार पाने के योग्य बनाया जा रहा है।

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और हिमाचली युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से अनेक प्रोत्साहन योजनाएं आरम्भ की गई हैं। 80 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना' आरम्भ की गई है। इस योजना के तहत युवाओं को पूंजी निवेश में 25 प्रतिशत उपदान देने के अतिरिक्त, अन्य रियायतें भी दी जा रही हैं। महिलाओं को यह उपदान 30 प्रतिशत दिया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1100 युवाओं ने आवेदन किए हैं जिनमें से 839 प्रस्तावों को जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है। 36 परियोजनाओं के लिए बैंकों द्वारा ऋण भी प्रदान कर दिए गए हैं।

प्रदेश में 'सिंगल विंडो' समाधान प्राधिकरण के माध्यम से 3622.14 करोड़ रुपये के कुल निवेश की 113 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई, जिनमें लगभग 7655 लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस प्रदेश को 'औद्योगिक हब' बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, निवेशक-मित्र नीतियां बनाई जा रही हैं। जून, 2019 में, धर्मशाला में एक 'ग्लोबल इन्वेस्टर मीट' आयोजित की जानी प्रस्तावित है, जिसमें बड़े पैमाने पर निवेशकों को आमंत्रित करने के प्रयास चल रहे हैं।

प्रदेश सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को भी प्राथमिकता प्रदान की है। प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा स्तर तक विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित बनाई जा रही है। प्रदेश में प्रथम चरण में, 10 अटल आदर्श विद्या केन्द्र खोले जा रहे हैं, जिनमें बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा एवं छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होगी। बिलासपुर जिला के झण्डुता विधानसभा क्षेत्र में प्रथम आदर्श विद्या केन्द्र आरम्भ कर दिया गया है।

आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों को जमा दो तथा ग्रेजुएशन के उपरान्त प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग के लिए 5 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ, नई मेधा प्रोत्साहन योजना आरम्भ की गई है। इस योजना में प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को एक-एक लाख रुपये कोचिंग के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।

प्रदेश में सभी नागरिकों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए अनेक नई योजनाएं आरम्भ की हैं। नि:शुल्क दवाई नीति के तहत बड़े अस्पतालों में 330 दवाईयां, सिविल व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 216, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 106 तथा उप स्वास्थ्य केन्द्रों में 43 दवाइयां मुफ्त प्रदान की जा रही हैं।

प्रदेश में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना-आयुष्मान भारत को 23 सितम्बर, 2018 से आरम्भ किया गया है। इस योजना में प्रदेश के 22 लाख लोग कवर हो रहे हैं, जिन्हें इस योजना के तहत पंजीकृत अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार सुविधा उपलब्ध होगी। आयुष्मान भारत योजना में कवर न होने वाले लोगों की सुविधा के लिए 'हिम केयर' नाम से एक नई योजना आरम्भ की गई है। इस योजना में भी प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक नि:शुल्क ईलाज का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में किसानों-बागवानों की समृद्धि के लिए सिंचाई सुविधाओं के विस्तार पर विशेष बल दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अतिरिक्त, नई सिंचाई योजनाएं आरम्भ की गई हैं ताकि हर खेत तक पानी पहुंचाया जा सके। केन्द्र सरकार ने 4751.24 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी जल संरक्षण परियोजना को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के 708.87 करोड़ रुपये के प्रथम चरण को एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण के लिए प्रेषित किया गया है।

प्रदेश में प्राकृतिक खेती तथा जैविक खेती को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है। 25 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान' नामक नई योजना आरम्भ की गई है जिसमें कृषकों को प्राकृतिक खेती अपनाने के प्रति प्रेरित किया जा रहा है।

बागवानी गतिविधियों में विविधता लाने के लिए नई पुष्प क्रान्ति योजना तथा मुख्यमंत्री मधु विकास योजना आरम्भ की गई हैं। बागवानी विकास के लिए 1688 करोड़ रुपये की नई परियोजना एशियन विकास बैंक वित पोषण हेतु प्रस्तावित है।

प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण, सड़कें हमारी भाग्य-रेखाएं हैं। वर्तमान सरकार ने प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वरदान सिद्ध हो रही है। इस योजना में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए हिमाचल को तीन राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इस वर्ष लगभग 1229 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं, जिसके तहत 399 सड़कों तथा 13 पुलों का निर्माण किया जाएगा। केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत 69 नए राष्ट्रीय उच्च मार्गों के बन जाने से, इस प्रदेश की तस्वीर ही बदल जाएगी।

प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने में पर्यटन तथा पन विद्युत दोहन बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वर्तमान सरकार ने इन दोनों क्षेत्रें में निवेशकों को आकर्षित करने तथा अधोसंरचनात्मक सुविधाएं विकसित करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। पन विद्युत दोहन के लिए नीतियों में बदलाव किया गया है, जबकि पर्यटन के क्षेत्र में नई योजनाएं आरम्भ की गई हैं।

प्रदेश के प्राकृतिक दृष्टि से सुन्दर अनछुए स्थलों को विकसित करने के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'नई राहें-नई मंजिलें' नामक नई योजना आरम्भ की गई है। प्रथम चरण में, जंजैहली, चांशल और बीड-बिलिंग को आकर्षक पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एशियन विकास बैंक को वित्त पोषण हेतु 1892 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रस्तावित की गई है। प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार पर बल दिया जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर के हवाई-अड्डे के निर्माण के लिए मण्डी के नागचला में स्थान चिन्हित कर लिया गया है।

वर्तमान प्रदेश सरकार ने 'सबका साथ-सबका विकास' के मूल-मंत्र को समक्ष रखकर, राज्य के सभी क्षेत्रों के समान विकास तथा सभी वर्गों के उत्थान के प्रति सम दृष्टिकोण अपनाया है। यह प्रदेश प्रगति के पथ पर निरन्तर अग्रसर रहे, इस दृष्टि से जन प्रतिनिधियों के सुझावों पर प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं। आगामी वित्त वर्ष के लिए 7100 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तावित की गई है जोकि इस वर्ष की योजना से 800 करोड़ रुपये अधिक है।

केन्द्र सरकार की तर्ज पर हमारी सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत का आरक्षण लागू करने का सैद्धांतिक निर्णय लिया है। इस निर्णय से किसी भी वर्ग के हितों के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी।

केन्द्र और राज्य के डबल इंजन से प्रदेश के विकास को दोगुनी गति मिली है और यह प्रदेश एक समृद्ध, सुरक्षित, सुशासित और स्वावलम्बी हिमाचल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। आम हिमाचलवासी का हित एवं कल्याण ही प्रशासन की प्राथमिकता है और सरकार की सभी गतिविधियां आम जन को ध्यान में रखकर चलाई जा रही हैं।

आओ! पूर्ण राज्यत्व दिवस के इस पावन अवसर पर हम सब हिमाचलवासी संकल्प लें कि प्रदेश की इस शानदार विकास-यात्रा में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे और हिमाचल को एक स्वर्णिम प्रदेश बनाने के संकल्प को पूरा करने में अपना भरपूर योगदान देंगे।

पूर्ण राज्यत्व दिवस की
पुन: हार्दिक शुभकामनाएं!

हिमाचल प्रदेश के 49 वें पूर्ण राज्यत्व दिवस

के पावन अवसर पर **प्रदेशवासियों** को **हार्दिक बधाई**

प्यारे प्रदेशवासियो,

हमने बीते एक वर्ष में

हिमाचल प्रदेश को **विकास और खुशहाली** का पर्याय बनाने के लिए **ईमानदार प्रयास** किए

70 वर्ष से अधिक आयु के **सभी वरिष्ठ नागरिकों को** बिना किसी आय सीमा के मिलने लगी **बढ़ी हुई पेंशन**

जन समस्याओं के तत्काल समाधान के लिए **जन मंच** के माध्यम से **सरकार पहुँची घर-द्वार**

गृहिणी सुविधा व **उज्ज्वला योजना** से मुफ्त में घर-घर पहुँची गैस सुविधा

आयुष्मान भारत और **हिम केयर** से सबके स्वास्थ्य का रखा ख्याल

मुख्यमंत्री स्वावलम्बन योजना से युवाओं को मिले **रोज़गार-स्वरोज़गार** के अवसर

नशे के विरूद्ध छेड़ा अभियान विधान सभा में किया **बिल पास**

गुणात्मक शिक्षा को दिया बढ़ावा

नई मंजिलें - नई राहें योजना से **पर्यटन** को मिला बल

हिमाचल नम्बर के छोटे वाहनों को प्रवेश **शुल्क** में छूट से मिली **बड़ी राहत**

सुरक्षित भय मुक्त वातावरण में **जीवन** जीना हुआ **आसान**

किसान-बागवान हुए **खुशहाल**

मूलभूत सुविधाओं का हुआ **विस्तार**

हमारा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास

मंज़िलें अभी और भी हैं – आओ मिलकर साथ चलें

आपका अपना

जय राम ठाकुर

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 - 2805015, 94180 - 15015 फैक्स: 2805015

www.shailsamachar.co.in

पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन में राहुल–प्रियंका पर अमित शाह की प्रतिक्रिया क्या सियासी घबराहट है

शिमला/शैल। भाजपा द्वारा आयोजित पन्ना प्रमुख सम्मेलनों के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हल्कों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या इन सम्मेलनों के सहारे ही चुनाव जीता जा सकता है? यह सवाल इसलिये उठने लगा है क्योंकि एक लोकसभा क्षेत्र में कई लाख मतदाता होते हैं। एक विधानसभा क्षेत्र में ही औसतन एक लाख से अधिक लोग होते है। चुनाव आयोग जब मतदाता सूचियां तैयार करता और छापता है तब एक पृष्ठ पर कई मतदाताओं के नाम छप जाते हैं और इस छपे हुए पृष्ठ को पन्ना की संख्या दी गयी है। इस तरह एक चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के नाम हजारों पन्नो पर छपे होंगे और एक पन्ने पर भी दर्जनो नाम दर्ज होंगे। ऐसे में इन पन्ना प्रमुखों को ही भाजपा का प्रतिनिधि मानकर चलना कितना लाभकारी सिद्ध होगा यह तो चुनाव परिणाम ही बतायेंगे। इसी के साथ जब यह पन्ना प्रमुख अपने गांव, गली, मोहल्ले में पार्टी का प्रचार करने निकलेंगे तो सबसे पहले आम आदमी के सवालों का इन्ही को जबाव देना होगा। अच्छे दिनो के नाम पर हर आदमी के खाते में आने वाले पन्द्रह लाख कहां गये? पैट्रोल डीज़ल के दाम क्यों बढ़े? मंहगाई क्यों कम नही हुई? उनके आसपास कितने युवाओं को रोजगार मिल पाया? और नोटबंदी में कितना कालाधन सामने आया? यह सारे सवाल इन्ही से पूछे जायेंगे और इन सवालों का जबाव जब बड़े नेताओं के पास नही है तो यह लोग कहां से जवाब दे पायेंगे। इस तरह से यह सम्मेलन अन्ततः घातक भी सिद्ध हो सकता है। यह आशंका भी कुछ हल्कों में उतरने लग पड़ी है।

अभी जब से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाकर पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है तभी से भाजपा के हर छोटे-बड़े नेता की प्रतिक्रिया इस पर आनी शुरू हो गयी है। इन प्रतिक्रियाओं में तथ्यों के साथ -साथ भाषायी मर्यादा का स्तर भी बहुत नीचे आ गया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रियंका के आने से हर छोटा -बड़ा नेता अपने-अपने स्तर पर बुरी तरह हिल गया है। क्योंकि यह एक स्थापित सत्य है कि राजनीति मे गाली उसी को दी जाती है जिससे डर लगता है। जिससे डर नही होता है उसे नज़रअन्दाज कर दिया जाता है। उसका सभाओं में नाम नही लिया जाता है क्योंकि नाम लेने से ही उसका आप अपरोक्ष में प्रचार कर जाते हैं। प्रियंका के महासचिव बनने के बाद पहली बार हिमाचल के ऊना में पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को सम्बोधित करने आये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमितशाह की प्रतिक्रिया इस तथ्य की पुष्टि कर जाती है। क्योंकि यह प्रमाणित हो चुका है कि भाजपा नेतृत्व ने राहुल का जितना नेगेटिव प्रचार किया उसी के कारण वह हर आदमी के फोकस में आये और उनका आकंलन होना शुरू हुआ। इसी आंकलन के परिणामस्वरूप गुजरात और कर्नाटक में कांग्रेस की स्थिति में भारी सुधार हुआ तथा राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें बन गयी।

ऊना के सम्मेलन में अमित शाह, राहुल- प्रियंका से लेकर वीरभद्र सिंह पर निशाना साध गए। यही नहीं वह कांग्रेस नेताओं को डीलर कहने से भी नहीं चूके। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के जलवे की जगह मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जलवा दिखवाने की कोशिश भी इस सम्मेलन के जरिए की गई। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए कहा कि देश को ऐसी सरकार चाहिए जिसे कोई लीडर चलाए। ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसे कोई डीलर चलाए।

यही नहीं फौजी बहुल हमीरपुर संसदीय हलके को देखते हुए उन्होंने वन रैंक वन पैंशन मसले को भी अलग रंग दिया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा कि कांग्रेस के लिए ओआरओपी का मतलब हैं ओनली राहुल-ओनली प्रियंका। कांग्रेस पार्टी पर यह फौजियों की आड़ में यह तीखा हमला हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के केंद्र में सता में आने के बाद ओआरओपी का अपना वादा पूरा किया। अमित शाह ने जयराम ठाकुर की जमकर पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि उन राज्यों में से जिनके जवान देश की सीमा को बचाने के लिए जान देता हैं। एक ही प्रदेश ऐसा है देश में जिसे चार-चार परम वीर चक्र मिले हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों तक फौजियों के सम्मान की किसी ने सुध नहीं ली। लेकिन मोदी सरकार ने सता में आते ही यह सम्मान दिया।

मोदी ने दिया ओआरओपी सेना के जवानों को दिया। शहीद की विधवा को दिया। उन्होंने दिया ओनली राहुल ओनली प्रियंका को वन रैंक-वन पैंशन दिया। नए किसम का वन रैंक वन पैंशन हैं। हमारे जवानों के लिए उनका वन रैंक वन पैंशन वाड्रा गांधी परिवार को दिया।

भाजपा व कांग्रेस में यही अंतर हैं। प्रदेश की कंदराओं में मोदी ने काम किया। चप्पे-चप्पे में काम किया। दुनिया के लिए रेबीज की बीमारी होती है उपचार की पद्धति पर काम किया उन्हें अवार्ड दिया। दिल्ली के गलियारों में घूमते थे उनको मिलते थे। मोदी सरकार ने उमेश कुमार भारती को अवार्ड दिया। हजारों वैज्ञानिकों का सम्मान किया।

उन्होंने अपने व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र वीरभद्र सिंह को भी नहीं छोड़ा। वीरभद्र सिंह को कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बना रखा है। शाह ने कहा कि कांग्रेस की पांच साल की सरकार में राजा, रानी और राजकुमार के अलावा किसी का स्थान नहीं था, अब जयराम ठाकुर की सरकार में जनता को लगता हैं कि जनता की खुद की सरकार हैं। शाह ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो लोग 650 करोड़ रुपए की चोरी में जमानत पर घूम रहे हैं, वह मोदी पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई भारत मां के टुकड़े करने की बात करेगा तो मोदी सरकार उसे सलाखों के पीछे भेज देगी।

इस मौके पर आश्चर्यजनक तौर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर

तारीफ की। उन्होंने कहा कि पिछली बार तो भाजपा के पास कुछ नहीं था। लेकिन इस बार तो केंद्र में ही नहीं प्रदेश में भी भाजपा की सरकार हैं। उन्होंने कहा के मोदी का कोई विकल्प हैं। जयराम सरकार की एक साल की सरकार की तारीफ की। जयराम सरकार का कोई विकल्प नहीं हैं। शांता कुमार ने आगह किया कि चुनाव चुनाव होता हैं। इसलिए लापरवाही न हो। एक पल की खता सदियों की सजा दे जाती हैं। उन्होंने कहा कि भारत, व प्रदेश की चिंता न करे केवल अपने पन्ने की चिंता करे।

सम्मेलन में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस बार भी नया इतिहास रचेंगे व दोबारा चारों सीटें जीतेंगे। पिछले पांच साल की सरकार में कोई एक रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा पाए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार को बने हुए एक साल एक महीना एक दिन हुआ हैं। 68 में से 65 हलकों का दौरा पूरा कर चुका हूं।

समस्याओं का समाधान के लिए लोगों के बीच जाने की जरूरत है। सरकार लोगों के पास पहुंचे इसलिए जनमंच कार्यक्रम शुरू किए। कांग्रेस के लोग जनमंच के नाम पर परेशान हैं।

समझ लीजिए की अगर कांग्रेस परेशान हैं तो काम ठीक हो रहा है। आने वाले समय में जनमंच कार्यक्रम को और मजबूत करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ कर मदद की। उन्होंने कहा कि प्रदेश से चारों सीटों पर भाजपा जीतेगी।

नगर–निगम अधिकारी का वायरल हुआ ऑडियो बना मुद्दा

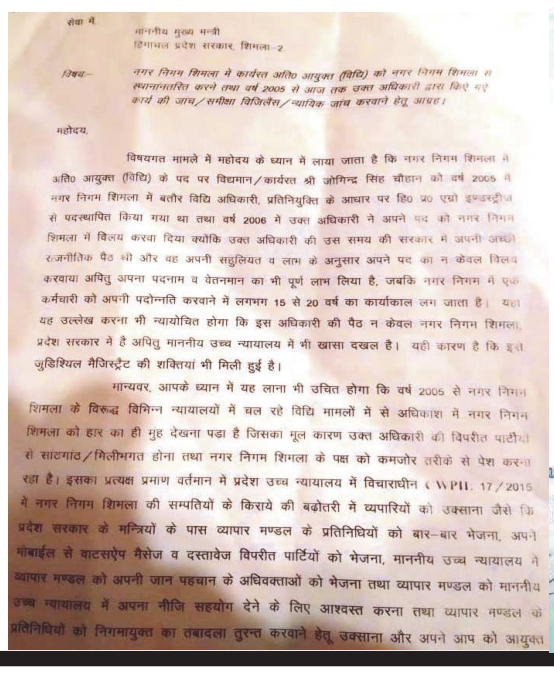

शिमला/शैल। नगर निगम शिमला की कार्यप्रणाली को लेकर एक लम्बे अरसे से सवाल उठते आ रहे हैं क्योंकि नगर निगम जो सेवाएं लोगों को उपलब्ध करवाता है उनकी गुणवता को लेकर सवाल उठे हैं। पेयजल आपूर्ति को लेकर शहर में जनजीवन अस्तव्यस्त होने के साथ शहर में अवैध निर्माणों को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय से लेकर एनजीटी और सर्वोच्च न्यायालय तक इसका कड़ा संज्ञान ले चुके हैं। शहर के विकास कार्यो को लेकर कई मामलों में स्थिति यह है कि वर्षो से मामले अदालतों में अटके पड़े हैं। कई मामलों में निगम के अधिकारी अपनी अदालतो के फैसलों को नही मान रहे हैं। जो अधिकारी न्यायिक जिम्मेदारी निभाता हुआ एक फैसला देता है वही अधिकारी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाता हुआ अपने ही फैसले पर अमल करने से पीछे हट जाता है। ऐसे दर्जनों मामले सामने आ चुके है जिनसे यह अराजकता की स्थिति सामने आती है। नगर निगम शिमला किसी समय एक बहुत अमीर संस्था हुआ करती थी लेकिन आज अपना काम करने के लिये इसके पास पर्याप्त साधन नही है लेकिन विडम्बना यह है कि निगम जब अपने साधन सुधारने का प्रयास करती है तभी बीच के ही लोग इन प्रयासों को तारपीडो कर देते हैं।

निगम की आय का एक स्थायी साधन उसकी संपतियों से मिलने वाला किराया है। लेकिन यह किराया कई जगह कई दशकों से पुरानी ही दरों पर चल रहा है। इन संपत्तियों का किराया बढ़ाये जाने को लेकर प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका CWPIL 17 of 2015 में दायर हुई है। इस याचिका की सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने किरायों की स्थिति का कड़ा संज्ञान लेते हुए निगम प्रशासन को इसे बढ़ाने के निर्देश दिये थे। इन निर्देशों के तहत निगम को इसके लिये एक योजना तैयार करनी थी। निगम प्रशासन ने जब इस दिशा मे कदम उठाये तो शहर के व्यापारियों ने इसको लेकर एतराज उठाये। पूरे शहरे में कोहराम मच गया। इसको लेकर राजनीति शुरू हो गयी। संयोगवश शहर के विधायक भाजपा से हैं और वह सरकार में मन्त्री हैं। स्वभाविक है कि प्रभावित लोगों ने उन पर दबाव डालना शुरू किया कि सरकार किराया बढौतरी के प्रयासों को रोके। लेकिन इसी दौरान नगर निगम के अतिरिक्त आयुक्त विधि का कथित आडियो वायरल हो गया। इसमें यह अधिकारी एक प्रभावित व्यापारी से बात करते हुए उसे इस किराया बढ़ौत्तरी को रोकने के लिये कुछ सुझाव देते हुए सुनायी देते हैं। यह आडियो यदि सही है तो यह एकदम निगम के हितों के खिलाफ है। यही नही बतौर विधि आयुक्त न्यायिक शक्तियों से संपन्न होने के कारण यह और भी अवांच्छित और आपराधिक हो जाता है। लेकिन यह सब तब तक नही हो सकता जब तक कि इस आडियो की प्रमाणिकता की निष्पक्ष जांच न हो जाये।

यह कथित आडियो सरकार में सारे संवद्ध अधिकारियों के संज्ञान में आ चुका है लेकिन इस पर अभी तक कोई जांच आदेशित नही हुई है। यदि यह आडियो फर्जी है तो इसको लेकर इस अधिकारी को संवद्ध लोगों के खिलाफ कारवाई करनी चाहिये थी क्योंकि उसकी छवि पर इससे प्रश्नचिन्ह लगे है। लेकिन इस अधिकारी की ओर से भी कोई कदम नही उठाया गया है।

सेवा में
माननीय मुख्य मन्त्री
हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2
विषय:- नगर निगम शिमला मे कार्यरत अति० आयुक्त (विधि) को नगर निगम शिमला से स्थानानतरित करने तथा वर्ष 2005 से आज तक उक्त अधिकारी द्वारा किए गए कार्य की जाच/समीक्षा विजिलैंस/न्यायिक जांच करवाने हेतु आग्रह।
महोदय,

के पद पर पदासीन करने हेतु उन्हे प्रदेश सरकार पर मन्त्रियों के माध्यम से दबाव बनाने का प्रयास करना आदि प्रमुख है।